

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

दिनांक :- 28/9/17

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2017/307
प्रति,

प्राचार्य,
नवीन सहज महाविद्यालय,
ए.बी.रोड़, शाजापुर।

विषय :- शैक्षणिक सत्र 2017-18 से महाविद्यालय बंद किए जान बाबत।
(संचालित पाठ्यक्रम बी.ए., बी.कॉम., बी.बी.ए.)

संदर्भ :- (1) महाविद्यालय का पत्र क्रमांक/निरंक, दिनांक 21.02.2017,
(2) विश्वविद्यालय का पत्र क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2017/1023, दिनांक 20.04.2017
(3) महाविद्यालय का पत्र क्रमांक/1023, दिनांक 20.04.2017,

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि, सत्र 2017-18 से आपके द्वारा महाविद्यालय बंद किये जाने के अनुरोध के संबंध में प्रकरण को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 15.09.2017 में अध्यक्ष की अनुमति से प्रस्तुत किया गया, जिसमें निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

"निर्णय लिया गया कि, महाविद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2017-18 प्रारंभ होने से पूर्व दिनांक 21.02.2017 को महाविद्यालय बंद करने हेतु पत्र प्राप्त हो चुका है अतः सत्र 2017-18 का शुल्क रु. 1,77,375/- देय नहीं होगा। महाविद्यालय बंद करने हेतु म.प्र. शासन की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है अथवा नहीं इसकी भी जानकारी भी महाविद्यालय से प्राप्त की जाये।"

अतः निर्देशित किया जाता है कि, उक्त निर्णय का पालन सुनिश्चित करें, तथा यह जानकारी भी प्रस्तुत करें कि, म.प्र. शासन से महाविद्यालय बंद किये जाने संबंधी अनुमति आवश्यक है अथवा नहीं इसकी जानकारी भी प्रस्तुत करें।

आदेशानुसार

कुलसचिव

दिनांक :- 27/9/17

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2017/308

प्रतिलिपि :-

01. अध्यक्ष/सचिव, जैन मणिरत्नम एवं सांस्कृतिक संस्था ए.बी.रोड़, शाजापुर।
02. उप/सहायक कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
03. प्रभारी, ऑनलाईन सेंटर, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
04. प्रभारी, कम्प्यूटर सेंटर, वेबसाइट की ओर प्रेषित कर सूचित है कि, उक्त पत्र को तत्काल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
05. कुलपतिजी/कुलसचिवजी के निजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन। की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

उपकुलसचिव(अकादमिक)